

भारत सरकार
विदेश मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 876
दिनांक 26.07.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

निर्वासित छात्र

876. श्री बी. के. पार्थसारथी:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान अमरीका द्वारा राज्य-वार कितने छात्र निर्वासित किए गए हैं;

(ख) उक्त निर्वासन के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार के पास विश्व भर में, विशेषकर अमरीका में अवैध रूप से फैले हुए भारतीय प्रवासियों के संबंध में आंकड़े हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गई है?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री
(श्री कीर्ति वर्धन सिंह)

(क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में कुल 48 भारतीय छात्रों को अमेरिका से भारत भेजा गया है।

(ख) अमेरिकी अधिकारियों द्वारा भारत वापस भेजने के कारणों को आधिकारिक तौर पर साझा नहीं किया गया है। अनधिकृत रोजगार, कक्षाओं से अनधिकृत निकाला जाना, निष्कासन और निलंबन, तथा वैकल्पिक व्यावहारिक प्रशिक्षण (ओपीटी) रोजगार की रिपोर्ट करने में विफलता कुछ संभावित कारण हैं, जिनके कारण छात्र का वीजा समाप्त किया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप "अवैध उपस्थिति" होगी और अंततः उन्हें वापस भेजा जा सकता है।

(ग) और (घ) भारत सरकार के पास दुनिया भर में फैले अवैध भारतीय प्रवासियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

भारत सरकार लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने और छात्रों एवं कुशल पेशेवरों की कानूनी आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए अमेरिकी सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। केंद्र और राज्य सरकारें सुरक्षित एवं कानूनी प्रवास के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए काम कर रही हैं। सरकार अवैध प्रवास नेटवर्क में शामिल सभी लोगों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई भी कर रही है।
